

वृद्धों के प्रति हमारा दायित्व

*डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी

यह कहा जाता है की आने वाली दुनिया बूढ़ों की दुनिया होगी। बूढ़ों की आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है। सन 1961 की जनगणना की अनुसार 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों की संख्या 2.5 करोड़ थी जो 1971 में बढ़कर 3.3 करोड़ हो गयी। अब इनकी संख्या लगभग 7.3 करोड़ है। अनुमान है कि 2025 की लगभग यह संख्या बढ़कर 14.6 करोड़ हो जाएगी। वास्तव में वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या इस विषय की गम्भीरता की ओर संकेत करती है।

वृद्धावस्था जीवन का संध्याकाल है जिसमें व्यक्ति प्रायः अपने आपको पराश्रित, अस्वस्थ एवं आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त पाता है। ऐसी दशा में वृद्धावस्था एक बोझ बन जाती है।

कहावत है कि 'बालक बूढ़े एक समान' लेकिन यदि गम्भीरता से विचार किया जाये तो पता चलेगा की बालक और बूढ़े एक समान नहीं है। बूढ़ों की देखभाल, बच्चों की देखभाल की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। बच्चों की प्रसन्नता सम्पूर्ण वातावरण को उल्लासमय बना देती है जबकि बूढ़ों की गम्भीरता, उनका चिडचिड़ापन, उनकी बीमारी उनकी देखभाल व्यक्ति को अधिक चिंतित कर देती है। बच्चों के व्यक्तित्व को निर्माण हो रहा होता है जबकि बच्चों का व्यक्तित्व बन चुका होता है। परिपक्व व्यक्तित्व में आदतें **ढढ़** हो जाती है और फिर उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बूढ़ों का जरा सा विरोध घर में कलेश उत्पन्न कर सकता है।

बूढ़ों के पिचके हुए गाल, सफ़ेद बाल, चेहरे की झुर्रियाँ, अशक्त शरीर, झुकी पीठ, जोड़ों का दर्द, पोपला मुहँ, धंसी हुई कमजोर आँखें, क्षीण श्रवण शक्ति सामान्यतः व्यक्ति के अन्दर एक दर्द भरी टीस उत्पन्न कर देती है। वृद्ध व्यक्ति की शिथिलता, उसकी असहाय दशा उसे पराश्रित बना देती है। ये वही हमारे बूढ़े माता पिता है जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमारे नखरे सहे, जिन्होंने हमारा मलमूत्र उठाया तथा लाख कष्ट उठाकर भी हमें प्रसन्न रखने की चेष्टा की और हमें एक योग्य इंसान बनाने का प्रयत्न किया। ये वही लोग है जो कुछ समय पूर्व सम्पूर्ण परिवार की शक्ति थे, उसके सम्मानित सदस्य थे, सारा कार्य उनके इशारे पर होता था। उन्होंने हमें शिक्षित बनाया, हमारी शादी विवाह किया और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

अब जब उनके हाथ पाँव दुर्बल हो गये है, उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ क्षीण हो गयी है तो उनकी स्थिति में महान परिवर्तन आ गया है। अब परिवार में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उनके आने जाने, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चलने पर नियंत्रण लग गया है। उन्हें सम्मान मिलना तो दूर प्रायः अपनी ही सन्तान से झिडकियाँ खाने पड़ती है अथवा अपनी ही पुत्रवधुओं से घोर अपमान सहना पड़ता है। जब अपने परिवार के लोग ही उन्हें समुचित आदर प्रदान नहीं करते तो आस पड़ोस के लोग उनका सम्मान क्यों करने लगे ? लेकिन इतना असम्मान, इतनी उपेक्षा होते हुए भी अपनी सन्तान व अपने पोते पोतियों का मोह उन्हें घर से जाने नहीं देता, जब तक कि वे स्वयं उन्हें घर से बाहर न निकाल दे। आज के भौतिकवादी युग में प्राचीन मान्यताएं व परम्परागत मूल्य बदल रहे है। सयुंक्त

वृद्धों के प्रति हमारा दायित्व

डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी

परिवारों का विघटन तेजी से बढ़ती हुई महंगाई, औद्योगीकरण, नगरीकरण, व्यक्तिवादी भावना ने व्यक्ति के अन्दर से परंपरागत सामाजिक मूल्यों जैसे त्याग, स्नेह, परोपकार, सहानुभूति, सहनशीलता आदि को विलुप्त कर दिया है। प्रायः आये दिन समाचार पत्रों में यह पढ़ने को मिलता है की अमुक पुत्र ने अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकल दिया या उनकी हत्या कर दी।

बड़ी लज्जा की बात है की आधुनिकता के रंग में रंग कर बूढ़ों को सम्मान देना भूल गए है। हम अपने आपकी अपने बड़े बूढ़े, माता पिता से, जो प्राचीन संस्कारों के वशीभूत हो कर सादा जीवन व्यतीत करते है कम पढ़े लिखे या अशिक्षित है या ग्रामीण भाषा बोलते है वे गंवार है कपडे पहनने का सलीका नहीं है हम अपने बच्चों को जो कान्वेंट स्कूल में पढ़ते है उनको गोद में नहीं बैठने देते है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आकर पूछता है की ये कौन है ? तो उन्हें अपने माता पिता बताने में बड़ी शर्म का अनुभव करते है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए की वृद्ध व्यक्तियों के पास जीवन का अनुभव है। हमें चाहिए की बड़े बूढ़ों से उनके दीर्घकालीन अनुभव का लाभ उठावें, जीवन की जटिल समस्याओं के निराकरण में उनकी सलाह लें। वृद्धों के पास परिपक्व बुद्धि है। वे संस्कृति के वाहक है। देश की उन्नति में उनकी सलाह बड़ी मत्वपूर्ण है।

वृद्धों की समस्याओं और वास्तविक स्थिति का पता लगाने के प्रयोजन से मैंने एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में अजमेर नगर के 100 वृद्धों का अध्ययन किया जिनका चयन दैव निर्देशन विधि से किया गया था। वृद्धों की आयु सीमा 60 वर्ष से 90 वर्ष तथा उससे ऊपर रखी गयी। ये वृद्ध राजकीय सेवा से अवकाश प्राप्त कर्मचारी, वकील, डाक्टर, दुकानदार तथा मजदूर थे। यह पाया गया की अधिकांश वृद्ध 60 से 70 वर्ष की आयु सीमा वाले थे। 80 वर्ष के बाद वृद्धों की संख्या में अधिकाधिक गिरावट आ गयी।

आर्थिक द्रष्टि से अधिकांश वृद्धों की स्थिति कमजोर थी। 25% व्यक्ति मकान के किराये पर, 15% सरकारी पेंशन पर, 17 % बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर, 12 % दूकान दारी करके, 5% बैंक की ब्याज पर तथा 26% अपने पुत्रों अथवा अन्य सम्बन्धियों पर आश्रित रह कर अपना निर्वाह कर रहे थे।

पारिवारिक आश्रितता की द्रष्टि से यह पाया गया कि 55 % अपने पुत्रों के साथ, 13% अपनी पुत्रियों के साथ, 25% पति पत्नी ही दोनों एक साथ, तथा शेष 7% अकेले ही बिना किसी के सहयोग के जीवन व्यतीत कर रहे थे। अधिकांश वृद्धों का विचार था कि परिवार में अब उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता जितना पहले मिलता था।

वृद्धों का मनोरंजन रेडियो सुनना, टी.वी. देखना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ना, घूमना फिरना, अपने पोत्र पोत्रियों के साथ खेलना आदि थे। लेकिन पर्याप्त संख्या में ऐसे वृद्ध भी थे (40%) जिन्होंने कहा की उनका कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर घर में ही पड़े रहते है या घर की चार दीवारी में ही इधर उधर घूम फिर लेते है।

एक महत्वपूर्ण तथ्य जो इस अध्ययन से प्रकाश में आया वह यह था की 65% वृद्ध व्यक्ति अपने बुढ़ापे में सुखी नहीं थे वे या तो किसी बीमारी से ग्रस्त थे या अपने सगे सम्बन्धियों से उपेक्षित हो कर एक घुटन का अनुभव कर रहे थे उनका सारा जीवन का उत्साह ठंडा पड़ गया था। 35% व्यक्ति जो अपने बुढ़ापे से सुखी थे वे या तो अपने पुत्रों की विशेष देखभाल, आदर, सम्मान प्राप्त कर रहे थे या अलग रह कर अपनी सीमित आय में संतुष्ट थे।

स्वास्थ्य की द्रष्टि से लगभग 70% वृद्धों को बीमार पाया गया। उन्हें खाँसी, दमा, जोड़ों का दर्द, द्रष्टि दोष, श्रवण दोष, टी.बी. आदि बीमारियाँ किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहीं थी। बीमारियों की गम्भीरता उन्हें जीवन के प्रति

वृद्धों के प्रति हमारा दायित्व

डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी

उदासीन बना रही थी।

उपरोक्त समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज सेवी संस्थाएं व सरकार इस और ध्यान दें। इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं :-

1. वृद्ध व्यक्तियों के लिए ऐसे अवसर प्रदान किये जाएँ जिनसे उनमें जीवन के प्रति उत्साह उत्पन्न हो। उनमें काम करने और कर्मठ जीवन व्यतीत करने की लालसा उत्पन्न हो। वृद्धों के लिए ऐसे सदन या आश्रम बनाये जाएँ जिनमें उनकी उचित देख भाल हो सके। समाज सेवी संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं।
2. वृद्धों की इनकी रूचि क्षमता और शक्ति के अनुसार काम दिया जाए। यदि वे दस्तकारी सीख कर उसमें अपने आपको लगायें रहेंगे तो उससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा और उनका समय भी कट जायेगा। वृद्ध लोग टोकरियों, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गलीचे, जिल्द साजी आदि का कार्य कर सकते हैं। जिन वृद्धों को बागबानी आती है वे यह कार्य कर सकते हैं। इससे आश्रम या सदन को फल तथा सब्जियां भी मिल सकेंगी तथा बचे हुए माल को बाजार में बेच कर धन अर्जित भी किया जा सकेगा। जिन वृद्धों को खाना पकाने में रूचि हो वे आश्रम में यह कार्य कर सकते हैं।
3. वृद्धों के लिए सृजनात्मक कार्यक्रम तथा मनोरंजन कार्यक्रम जैसे भाषण, विचार विमर्श, सिनेमा, रेडियो टी.वी. पुस्तकालय आदि की भी व्यवस्था की जा सकती है।
4. मानसिक व शारीरिक रूप से विकृत वृद्धों की चिकित्सा की लिए आश्रम में अलग से व्यवस्था की जा सकती है।
5. बूढ़े और असहाय व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से पेंशन की व्यवस्था होने चाहिए। पेंशन ऐसे वृद्धों को दी जाये (1) जिनका कोई आय का साधन न हो, (2) जिनके सगे सम्बन्धी उनका पालन पोषण न करें हो या (3) जिनके सगे सम्बन्धियों ने उन्हें त्याग दिया हो।
6. जो लोग वृद्धजनों की सेवा करना चाहे उन्हें बीमार वृद्धों की सेवा सुश्रुषा करने का अवसर प्रदान किया जाए। कुछ अन्य समाज सेवक वृद्धों को मनोरंजन स्थलों पर सैर कराने की लिए भी ले जा सकते हैं।
7. वृद्ध और युवा पीढ़ियों के बीच अन्तराल को कम किया जाये। यदि विचार धाराओं में परिवर्तन आयेगा तो पीढ़ियों का टकराव स्वतः मिट जायेगा।
8. सरकार को चाहिए कि वह वृद्धों के कल्याण के लिए और अधिक उपयोगी कार्यक्रम लागू करें। दूसरी ओर वृद्धों को भी पारिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं :-
1. वृद्धों को अपने बच्चों की बातों पर अधिक टीका टिपण्णी नहीं करनी चाहिए।
2. वृद्धों को अपने बच्चों के साथ रह कर भी जहाँ तक संभव हो सके, उन पर बोझ नहीं बनना चाहिये। उन्हें अपने आर्थिक भार स्वयं उठाना चाहिए और इसके लिए पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए।
3. वृद्धों को अपने आप को इतना वयस्त रखना चाहिए की उन्हें अपने बुढ़ापे के विषय में सोचने का समय ही न मिल सके वृद्धों को अपने बच्चों के साथ रह कर भी जहाँ तक संभव हो सके, उन पर बोझ नहीं बनना चाहिये। उन्हें अपने आर्थिक भार स्वयं उठाना चाहिए और इसके लिए पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए।

वृद्धों के प्रति हमारा दायित्व

डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी

4. वृद्धों को खान पान, बात चीत, रहन सहन, में सयम बरतना चाहिए। उन्हें अधीर या चिडचिडा नहीं होना चाहिए।
5. वृद्धों को अपने जीवन को नियमित बनाना चाहिए। हर कार्य को समय पर करना चाहिए जहाँ तक हो सके अपने काम स्वयं करना चाहिए।
6. वृद्धों को अपने आपको तनाव से दूर रखना चाहिए उन्हें दुस्चिन्ताओं और उद्वेगों से अपने आपको बचाना चाहिए।
7. वृद्धों को जीवन से निराश कभी नहीं होने चाहिए उन्हें पारिस्थितियों से सामंजस्य करना चाहिए। उन्हें सदा मुस्कारते रहना चाहिए।

हमें अपने तथा देश की उन्नति के लिए वृद्धों के आशीर्वाद चाहिए। उन्ही के प्रेरणा और मार्ग दर्शन से हम अपने और अपने समाज का कल्याण कर सकते है।

*अध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
हिन्दी विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नसीराबाद, अजमेर (राज.)

Reference

1. Sunanda Rabindranathan The Elderly in urban Indian families: Conflict in solidarity, B.R. Publishing Corporation, New Delhi, 2006
2. Vijay Kumar, S., Family life and Socio-Economic problems of the Aged New Delhi: Ashish, New Delhi, 1991.
3. Achamamba, B. "Social and emotional problems of men and women in joint and nuclear families." In K.S.
4. RAO & V. Prabhakar (Eds), "Aging – A multifactor discussion." Association of Gerontology (India), New Delhi, 1987.
5. Arun P. Bali "Care of the elderly in India: changing configurations". Indian institute of advanced Study, New Delhi, 2001.
6. Avatharamu, N.Ch. "Elder abuse – A study of abuse and neglect of elderly in rural families." Doctoral Dissertation submitted to the Andhra University, Visakhapatnam, 2003.
7. Blau, Z.S. "Old Age in changing society." Franklin Watts, New Viewpoints, New York, 1973.
8. Mishra Saraswati, "Social Adjustment in old Age". B.R. Publishing House, New Delhi, 1987.
9. R.K.A. Subrahmanya "Social security for the elderly", Shipra Publications, New Delhi, 2005.

वृद्धों के प्रति हमारा दायित्व

डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी